न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 30/2013

1 मालीराम सैनी पुत्र तुलसाराम सैनी।
2 चन्दगीराम सैनी पुत्र तुलसाराम सैनी।
3 मनीराम सैनी पुत्र तुलससाराम सैनी।
4 पीरूराम सैनी पुत्र तुलसाराम सैनी समस्त जाति सैनी निवासीगण पुरानी ढ़ाणी बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सुबेदार शिवलाल पुत्र नोपाराम जाति जाट।
2 फुलचन्द पुत्र नोपाराम जाति जाट।
3 नाहर सिंह पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासीगण हमीरवास बजावा तहसील झुंझुनू जिला झुंझुनू।
4 झुमा देवी पत्नी नारूराम सैनी।
5 बहादुरमल पुत्र नारूराम सैनी।
6 गिरधारीलाल पुत्र नारूराम सैनी।
7 रामनिवास पुत्र नारूराम सैनी।
8 रामप्रसाद पुत्र नारूराम सैनी निवासीगण पुरानी ढ़ाणी बड़ागांव तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
9 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुंझुनू जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

अपील विरूद्व निर्णय व आदेश दिनांक 18.03.2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू बमुकदमा नम्बर 126/2012 उनवानी शिवलाल वगैरह बनाम झुका देवी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जगदीशचन्द्र, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांक:–28-2-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 126/2012 में पारित निर्णय दिनांक 18.03.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अदालत मातहत के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम हमीरवास बजावा तहसील व जिला झुन्झुनू में स्थिति भूमि खसरा नम्बर 449/278, 450/278, 451/278 के खातेदार काश्तकार है, जो कि भूमि खेत खसरा नम्बर 273 व 274 में कदीमी वर्तमान में होना व उसी के अनुसार 12 चौड़ा रास्ता लेना चाहते है तथा निवेदन इस प्रकार किया कि भूमि खसरा नम्बर 276 रकबा 0.03 हैक्टेयर आबादी व खसरा नम्बर 451/287 रकबा 1.13 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.16 हैक्टर रेस्पोडेन्ट नं. 1 के हिस्से में आई हैं जिसमें रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अपना 500 वर्गमीटर भूमि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

का परिवर्तन करवाकर पट्टा लेकर आबाद है। तथा करीब 20 वर्ष से आबाद है। रेस्पोडेन्ट नं. 2 भूमि खसरा नं. 450/287 रकबा 0.56 हैक्टर पर काबिज कास्त है। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट नं. भूमि खसरा नम्बर 449/278 रकबा 0.57 हैक्टर पर काबिज कास्त है एवं सर्वे सीट में रास्ता कायम करने के लिए रेस्पोडेन्ट नं. 9 को आदेशित किये जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 3 का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट नं. 4 लगायत 9 को नोटिस जारी किये गये जिसमें रेस्पोडेन्ट नं. 4 लगायत 8 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। तथा अपीलान्ट की ओर से जवाब आवेदन पत्र दिनांक 04.03.2013 पेश किया गया एवं पत्रावली में बहस हेतु तारीख पेशी दिनांक 18.03.2013 नियत की गई। मामले में उक्त दिनांक को बहस अंतिम सूनी जाकर रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 3 का आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण धारा 251 ए का है। धारा 251 ए में मौका रिपोर्ट के लिए आईएलआर से निम्न स्तर का कार्मिक अधिकृत नहीं हैं यह आज्ञापक प्रावधान है। मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा नियम 69 की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर आर डी 2017 पेज 734 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचाराधीन निर्णय के विरूद्ध दो अपीले प्रस्तुत हुई थी। इनमें से एक अपील दिनांक 09.08.2022 को अदम हाजरी में खारिज हो चुकी है। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी ने खसरा नम्बर 256 की सीमा से लगते हुए रास्ते हेतु सहमति प्रदान की थी। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने अपने जवाब में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनं)

अंकन नहीं किया है। धारा 251 ए में लघुत्तम दुरी का ही प्रावधान है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। विचारण न्यायालय के निर्णय की पालना में मौके पर व राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका है। विचाराधीन निर्णय सहमति से पारित किया गया है। अतः इसकी अपील पोषणीय नहीं है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है जबकि धारा 251 ए में आज्ञापक प्रावधान है कि मौका रिपोर्ट आईएलआर से निचे के स्तर के कार्मिक द्वारा तैयार नहीं की जा सकती है। यह मौका रिपोर्ट उभयपक्ष को सूचित कर उनकी उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 256 के सीमा के सहारे सहारे रास्ते हेतु सहमति दिया जाना स्वीकृत है किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 256 की सीमा पर रास्ता नहीं दिया गया है। पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट में नियम 69 की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि धारा 251 ए के आज्ञापक प्रावधानों की पालना में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.03.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28-2-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर